

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधरण

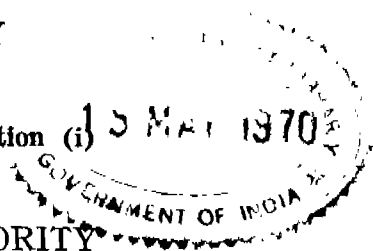
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 71]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1970/ चैत्र 11, 1892

No. 71]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1970/CHAITRA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1970

G.S.R. 583-584. In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. 134/66-Central Excises, dated the 23rd August, 1966, namely:—

In the said notification—

- (i) In the first paragraph, for the letters and figures "Rs. 70.00", the letters and figures "Rs. 98.50" shall be substituted; and
- (ii) In paragraph 2, for the expression "31st March, 1970" the expression "31st March, 1971" shall be substituted.

[No. 78/70-CE/F. No. 8/29/69-CX.3]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1970

सा० का० नि० 583-584—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 134/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 अगस्त, 1966 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में

- (i) प्रथम पैरा में “रु 70.00” अक्षर और अंकों के स्थान पर “रु 98.50” अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) पैरा 2 में “31 मार्च 1970” पद के स्थान पर “31 मार्च 1971” पद प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं० 78/70-के० उ० शु०—फा० सं० 8/29/69—सी० एक्स-3]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव।